प्र०सं. 433/25 31-10-25

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
मांडल

विषयः- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भोजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 14,15,16,94,98 में मुझ प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द्र पि० मंगलाल गाडरी दर्ज है मेरा सही नाम सुरेश पि० मंगलाल गाडरी है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

भोजपुरा 14,15,16,94,98

प्रार्थी
सुरेश गाडरी

दिनांकः-

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम भोजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 14,15,16,94,98 में प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द्र गाडरी दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधार पहचान पत्र व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सुरेश गाडरी है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

16.10.25
पटवारी
प.म. टहुंका
जि. भीलवाड़ा
ग्रामीण-सेवा विविध टहुंका

पटवारी.....

भू0अ0नि0 ICR पीधास
16-10-2025

रिपोर्ट उप तहसीलदार बागोर

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी टहुंका व भू0अ0नि0 पीधास एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम भोजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 14,15,16,94,98 में प्रार्थी का नाम सुरेशचन्द्र गाडरी के बजाय सुरेश गाडरी किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

उप तहसीलदार बागोर
16/10/25

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार ~~मांडल~~ ग्राम भोजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 खाता संख्या 14,15,16,94,98 में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरेशचन्द्र गाडरी के स्थान पर सुरेश गाडरी संशोधन के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2025/525